



ISSN Print: 2394-7500
 ISSN Online: 2394-5869
 Impact Factor: 5.2
 IJAR 2017; 3(6): 553-558
 www.allresearchjournal.com
 Received: 12-04-2017
 Accepted: 15-05-2017

डॉ. प्रदीप कुमार

असिसटेंट प्रोफेसर, एम.आर
 सरकारी कॉलेज, फाजिलका,
 पंजाब, भारत

अंग्रेजों के जमाने में बीकानेर रियासत के सम्बन्ध

डॉ. प्रदीप कुमार

सारांश

1808 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक अधिकारी एल्फिंस्टन काबुल जाते हुए बीकानेर में ठहरा। उस समय महाराजा सूरत सिंह अपने जागीरदारों के साथ कलह में उलझा हुआ था। महाराजा सूरत सिंह ने एल्फिंस्टन का समुचित सत्कार किया और अंग्रेजों से मित्रता के चिन्ह स्वरूप बीकानेर दुर्ग की चाबियों उसे दी और 1851 में महाराजा रत्न सिंह की मृत्यु हो गई तथा सरकार सिंह गद्दीदर बैठा और उनके शासनकाल में ही 1857 ई. की क्रांति हुई। महाराज ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की और ब्रिटिश अधिकारियों एवं उनके परिवारों को महलों में बुलवाया और उन्हें शरण प्रदान की।

कूटशब्द: बीकानेर रियासत, ईस्ट इण्डिया, ब्रिटिश अधिकारियों

प्रस्तावना

1808 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक अधिकारी एल्फिंस्टन काबुल जाते हुए बीकानेर में ठहरा। उस समय महाराजा सूरत सिंह अपने जागीरदारों के साथ कलह में उलझा हुआ था। महाराजा सूरत सिंह ने एल्फिंस्टन का समुचित सत्कार किया और अंग्रेजों से मित्रता के चिन्ह स्वरूप बीकानेर दुर्ग की चाबियों उसे दी और 1851 में महाराजा रत्न सिंह की मृत्यु हो गई तथा सरकार सिंह गद्दीदर बैठा और उनके शासनकाल में ही 1857 ई. की क्रांति हुई। महाराज ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की और ब्रिटिश अधिकारियों एवं उनके परिवारों को महलों में बुलवाया और उन्हें शरण प्रदान की। इतना ही नहीं उसने क्रांतिकारियों को ढूँढ ढूँढ कर मारा। जनरल लारेंस ने लिखा है— अन्य राजाओं ने भी अंग्रेजी कुटुम्बों को आश्रय दिया और मदद की किंतु विद्रोह के कारण भागे अंग्रेजों का पता लगाने और उनकी रक्षा करने में जैसी सहायता बीकानेर रियासत के राजाओं ने की है वैसी किसी ने नहीं की। बड़े-2 अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोह असफल हो जाने के पश्चात् बीकानेर नरेश को धन्यवाद पत्र भेजे सिरसा जिले के 41 गांवों को टी.बी परगना पुरस्कार में दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर रियासतों के राजाओं को 17 तोपों की स्लामी देने की स्वीकृति प्रदान की। 1857 के विद्रोह के बाद से ब्रिटिश सरकार बीकानेर के नरेशों के साथ प्रिय बालकों जैसा व्यवहार करती रही। सैनिक विद्रोह के समय बीकानेर महाराजा सरदार सिंह द्वारा ब्रिटिश सम्राज्य को दी गई सेवाओं में राजपूताना के समस्त शासकों के बढकर बताया है। यही कारण है कि 1858 ई. के बाद से देशी राज्यों के जमींदारों के प्रति अंग्रेज शासकों का रवैया मैत्रीपूर्ण ही रहा। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए अंग्रेजों ने उनके हितों और विशेषधिकारों की रक्षा की। उन्हें सम्मानित किया तथा प्रदान की अनेक स्थानों की छिनी भूमि उन्हें वापिस कर दी गई।

अंग्रेजों के जमाने में बीकानेर रियासत के महाराजा सूरत सिंह का राज्यकाल अंग्रेजों के अभ्युत्थान का समय कहा जा सकता है। अंग्रेजों की प्रबल शक्ति के आगे हिन्दू-मुसलमान सब अवनत होते जा रहे थे। उनका अमल हॉसी, हिसार तक हो चुका था और उनके प्रभुत्व की धाक अधिकांश भारत में जम चुकी थी। इधर बीकानेर राज्य की आन्तरिक दशा भी बिगड़ रही थी। प्रतिदिन राज्य के सरदार विद्रोही हो रहे थे, जिनका दमन करने में ही महाराजा को सारी शक्ति लगा देनी पड़ती थी। जार्ज टामस की दो बार की चढ़ाईयों तथा जोधपुर के साथ की लड़ाईयों में भी बीकानेर का कम नुकसान न हुआ था। ऐसी परिस्थिति में उसने अंग्रेजों से मिल कर लेना ही उचित समझा और इस महत्वपूर्ण कार्य को उतमता से पूरा करने के लिए काशीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने मि. चार्ल्स मेटकाफ से मिलकर सन्धि की शर्तें तय की। यह घटना बीकानेर के राज्य के इतिहास में बड़ा ही महत्व रखती है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ सरदारों का पूरी तरह दमन होकर राज्य में पुनः सुख और शान्ति की स्थापना हुई।⁽¹⁾ जो सम्बन्ध महाराजा सूरत सिंह ने अंग्रेजों से स्थापित किया उसका अब तक निर्वाह होता रहा है और अंग्रेज सरकार तथा बीकानेर के बीच अब भी सुदृढ़ मैत्री विद्यमान है।

Correspondence

डॉ. प्रदीप कुमार

असिसटेंट प्रोफेसर, एम.आर
 सरकारी कॉलेज, फाजिलका,
 पंजाब, भारत

महाराजा सूरत सिंह बड़ा वीर, नीतिवेता और न्यायप्रिय था। यह केवल तलवार लेकर लड़ना ही नहीं जानता था, वर्ण मेल के महत्व को भी खूब समझता था। वहाँ उसे मेल करने में लाभ दिखाई पड़ता वहाँ वह बिना अधिक सोच-विचार किये ही ऐसा कर लेता। वह अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता था। 1808 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक अधिकारी एल्फिंस्टन काबुल जाते हुए बीकानेर में ठहरा। उस समय महाराजा सूरत सिंह अपने जागीरदारों के साथ कलह में उलझा हुआ था। महाराजा ने एल्फिंस्टन का समुचित सत्कार किया और अंग्रेजों से मित्रता के चिह्न स्वरूप बीकानेर दुर्ग की चाबियाँ उसे देनी चाहीं किन्तु एल्फिंस्टन ने चाँबिया स्वीकार नहीं की। उसने कोई वचन भी नहीं दिया।

इधर आपसी कलह में डूबे हुए बीकानेर, जोधपुर तथा जयपुर राज्यों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और उधर मराठे और पिण्डारी राजपूताने से लूटी गयी सम्पत्ति और साधनों के बल पर निरंतर ताकतवर होते जा रहे थे। इस कारण भारत के अंग्रेजी इलाके असुरक्षित होते जा रहे थे। मराठों और पिण्डारियों का सफाया करने के लिए 1817 ई. में अंग्रेजों ने राजपूताना के देशी राज्यों की घेराबंदी करनी आरंभ कर दी थी। उन्होंने राजपूताने की समस्त रियासतों के साथ संधि करने के लिए प्रस्ताव भेजे जिन्हें राजपूताना के शासकों ने तुरंत स्वीकार कर लिया था।⁽²⁾

महाराजा सूरत सिंह ने काशीनाथ ओझा को 1817 ई. में अंग्रेजों की सेवा में भेजा और संधि करने का प्रस्ताव किया। 9 मार्च 1818 को दोनों पक्षों में संधि पर हस्ताक्षर हुए और मोहर लगी। अंग्रेजों की ओर से चालर्स थियोफिलस मेटकाफ ने तथा महाराजा सूरत सिंह की ओर से काशीनाथ ने हस्ताक्षर किये। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 21 मार्च 1818 को घग्घर नदी पर स्थित पतरास के घाट पर इसकी पुष्टि की। इस समय अंग्रेज, राजाओं के केवल बाह्य सम्बन्धों को वशीभूत करने के लिए लालायित थे और वह राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं लेना चाहते थे। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी:-

- 1. पहली शर्त:** ऑनरेबल कम्पनी तथा महाराजा सूरत सिंह, उनके उत्तराधिकारियों एवं क्रमानुयायियों के बीच निरन्तर मैत्री, पारस्परिक मेल और स्वार्थों के ऐक्य का सम्बन्ध रहेगा और एक पक्ष के मित्र तथा शत्रु दोनों पक्षों के मित्र तथा शत्रु समझे जाएंगे।
- 2. दूसरी शर्त:** अंग्रेज सरकार बीकानेर के राज्य और देश की रक्षा करने का इकरार करती है।
- 3. तीसरी शर्त:** महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी अंग्रेज सरकार के साथ अधीनतापूर्ण सहयोग का व्यवहार रखेंगे।
- 4. चौथी शर्त:** महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी बिना अंग्रेज सरकार की जानकारी तथा अनुमति के किसी भी राजा अथवा राज्य से अहद-पैमान न करेंगे, परन्तु मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ उनका साधारण मैत्री का पत्र व्यवहार पूर्ववत् ही जारी रहेगा।
- 5. पाँचवी शर्त:** महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी किसी से ज्यादाती न करेंगे, यदि देवयोग से किसी से झगडा हो गया तो वह मध्यस्थता एवं निर्णय करने के लिए अंग्रेज सरकार के सामने पेश किया जाएगा।
- 6. छठी शर्त :-** बीकानेर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने लूटमार और डकैती का बुरा मार्ग इख्तियार कर लिया था और वहाँ का धन लूट लिया अंग्रेजों तथा राज्य की शान्तिप्रिय प्रजा को कष्ट भी पहुँचाया था, इसलिए अंग्रेजी राज्य के समय इसकी सीमा के अंतर्गत रहने वालों की अब तक लूटी गई सम्पत्ति वापस दिलाने एवं भविष्य में अपने राज्य के लूटेरों और डाकुओं का पूर्णतया दमन करने का महाराजा इकरार

करते है। यदि महाराजा उनका दमन करने में समर्थ न हो तो अंग्रेजी सरकार मांगने पर महाराजा को सहायता देगी, ऐसी दशा में महाराजा को फौज का सारा खर्च देना पड़ेगा, अथवा उस समय अगर महाराजा के पास खर्च चुकाने का साधन सरकार के सुपर्द कर देना होगा, जो उस खर्च की भरपाई हो जाने पर महाराजा को वापिस मिल जाएगा।

- 7. सातवीं शर्त:** महाराजा के मांगने पर, अंग्रेज सरकार महाराजा से विद्रोह करने एवं उनकी सत्ता को न मानने वाले ठाकुरों तथा राज्य के अन्य पुरुषों को उनके अधीन करेगी। ऐसी स्थिति में सारा फौजखर्च महाराजा को देना पड़ेगा, परन्तु उस दशा में जब कि उनके पास खर्चा चुकाने के साधन उपस्थित न होंगे, तो राज्य का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा।
- 8. आठवीं शर्त:** अंग्रेज सरकार के मांगने पर बीकानेर के महाराजा को अपनी शक्ति के अनुसार फौज देनी होगी।
- 9. नोवी शर्त:** महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी अपने राज्य के खुदमुख्तार राजा रहेंगे तथा उक्त राज्य में अंग्रेजी हुकूमत का प्रवेश न होगा।
- 10. दशवी शर्त:** अंग्रेज सरकार की यह इच्छा और अभिलाषा है कि बीकानेर और भटनेर का मार्ग काबुल और खुरासान आदि से व्यापार विनिमय के लिए सुरक्षित एवं आने-जाने के योग्य कर दिया जाये, अतएव महाराजा अपने राज्य के भीतर ऐसा करने का इकरार करते हैं, ताकि व्यापारी सुकूल और बिना किसी बाधा के आया जाया करें और राहदारी का जो दर निश्चित है, वह बढ़ाया न जाएगा।
- 11. ग्यारहवीं शर्त:** ग्यारह शर्तों का यह अहदनामा होकर इस पर मि. चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ तथा काशीनाथ ओझा की मुहर और हस्ताक्षर हुए। श्रीमान गवर्नर जनरल तथा राजराजेश्वर महाराजा श्रीमान् सूरत सिंह बहादुर की तसदीक की हुई इसकी नकले आज की तारीक के बीस दिन बाद आपस में एक दूसरे को दी जावेंगी।

ता0 9 मार्च ई.सं. 1818 (फाल्गुन सुदि 2 वि.सं. 1874) को दिल्ली में लिखा गया।⁽³⁾

महाराजा सूरत सिंह व अंग्रेजी सरकार के बीच पंजाब की सीमा से सटी एक तहिसील, टीबी के गांवों के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हुई थी। महाराजा का कथन था कि वह गांव भटनेर में शामिल होने से बीकानेर राज्य के अर्न्तगत हैं, अतएव मुझे वापिस मिलने चाहिए परन्तु बहुत कुछ लिखा-पढ़ी होने पर भी टीबी के गांव अंग्रेज सरकार ने उस समय सूरत सिंह को वापस न दिए।⁽⁴⁾ उसी वर्ष मि. एडवर्ड ट्रेवेलियन सीमा-सम्बन्धी झगडा तय करने के लिए बीकानेर आया। उसके पास मेटकाफ का इस आशय का एक खरीता था कि जमीन परगना बेनीवाल की बीकानेर के पास है यदि वह सूरत सिंह की साबित हुई तो उसी के पास रखी जाएगी अन्यथा अंग्रेजी राज्य में मिला ली जाएगी परन्तु इसकी जाँच होने पर फौसला बीकानेर के विरुद्ध हुआ तथा टीबी और बेनीवाल के 40 गांव बीकानेर राज्य से अलग हो गए थे।⁽⁵⁾

1844 ई. में अंग्रेज सरकार तथा बीकानेर राज्य के बीच भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कुएं तथा मीनारें बनवाने और राहदारी घटाने के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हुई। महाराजा ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार कर में कमी की एवं मार्ग का समुचित प्रबन्ध कर इसकी सूचना गवर्नर जनरल के पास भेज दी। पहले प्रति ऊंट आठ रूपया कर लगता था, वह घटाकर आठ आना कर दिया तथा सामान की प्रति बैलगाडी पर एक रूपया कर नियत हुआ। अन्य टटू-खच्चर, भैंसा, बैल आदि जानवरों पर लादकर जाने वाले सामान पर चार आना प्रति जानवर स्थिर हुआ कर में कमी करने से राज्य को हानि तो हुई, परन्तु व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ तथा अंग्रेज सरकार भी इस कार्य से बहुत ही खुश हुई।⁽⁶⁾

जैसे कि पहले जिकर किया है अंग्रेज सिक्ख युद्ध में अंग्रेज सरकार ने बीकानेर से सेना तथा तोपे इत्यादि युद्ध सामग्री मंगवाई थी, बीकानेर के महाराजा ने तोपें, ऊँट इत्यादि युद्ध सामग्री अंग्रेजों को सहायता के रूप में दी थी। भावलपुर का सीमा सम्बन्धी झगड़ा समाप्त न होने के कारण अब भी उधर के लोगों का उपद्रव बीकानेर की सीमा में जारी था। बीकानेर से उनका नियन्त्रण करने के लिए कुछ और सरदार लालगढ़ के थाने में से नियुक्त किए गए थे।⁽⁷⁾

वि.सं. 1902 ई.सं. 1845 में जब सिक्खों से पहली बार अंग्रेज सरकार को लोहा लेना पड़ा तो उस समय भी बीकानेर के महाराजा ने अंग्रेजों को सहायता पहुँचाई थी। लगभग दो वर्ष पश्चात् जब मुलतान का गर्वनर दीवान मूलराज विद्रोह⁽⁸⁾ करने पर उतारू हो गया तो अंग्रेज सरकार ने महाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा मुलतान के मार्ग में थाने स्थापित कर दो, जिससे मूलराज रहने वाले व्यापारियों के पास न जा सके।

दीवान मूलराज के विद्रोही होते ही सिक्खों ने फिर दुबारा सिर उठा लिए थे, जिससे अंग्रेज सरकार को उनके खिलाफ पुनः हथियार उठाना पड़ा। पूर्व की भांति इस बार भी अंग्रेज सरकार ने महाराजा को वि.सं. 1905 आशिव सुदि 15 (ई.सं. 1848 ता. 12 अक्टूबर) को बीकानेर से अंग्रेजों की सहायता के लिए ऊँट फिरोजपुर भेजने के लिए लिखा। इस पर महाराजा ने उसी समय 100 ऊँट फिरोजपुर भेज दिए फिर खरीता आने पर सेना के लिए आटे दाल इत्यादि का भी अच्छा प्रबन्ध कर दिया। बीकानेर के महाराजा रत्न सिंह उस समय 55 सवार, 40 गोलंदाज और कई तोपे और अन्य सैनिक फिरोजपुर भेजे गए थे। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी प्रशंसा का खरीता सरकार के पास दरबार में पहुँचा।⁽⁹⁾ फिर वि.सं. 1906 (ई.सं. 1849) में अंग्रेज सरकार के अफसरों ने जाकर बीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर की सीमा निर्धारित कर दी, जिससे इन तीनों राज्यों का प्रतिदिन का सीमा सम्बन्धी झगड़ा समाप्त हो गया था।⁽¹⁰⁾


इससे महाराजा रत्न सिंह के अंग्रेज सरकार के साथ बीकानेर राज्य के सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुआ। उसके समय में भी राज्य के कुछ सरदार उपद्रवी रहे, जिनका उसने समुचित प्रबन्ध किया। समय पड़ने पर वह स्वयं भी सेना का संचालन किया करता था। वह वीर, वीरों का सम्मान करने वाला, बुद्धिमान, भ्रमणशील, विद्वानों का आश्रयदाता और बड़ा सुधारक था। उसकी प्रशंसा में लिखे गए जसरत्नाकर, रतन विलास, और रतनरूपक अथवा रतन जस प्रकाश नामक काव्य-ग्रंथ मिलते हैं।

वि.सं. 1902 (ई.सं. 1845) की लाहौर के सिक्खों के साथ की अंग्रेजों की लड़ाई में जिन बीकानेरी सरदारों एवं सैनिकों ने बहादुरी दिखलाई भी, उन्हें उसने सिरपाव और आभूषण आदि देकर सम्मानित किया। उसने हरिद्वार, गया और नाथ द्वारा की यात्रा की थी। वह राजपूतों में प्रचलित लड़कियों को मारने की प्रथा का कट्टर विरोधी था। गया में रहते समय उसने अपने सरदारों से इस कुप्रथा को बन्द कर देने की प्रतिज्ञा करवाई और पीछे से इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वालों की जागीर जब्त करवाने की आज्ञा निकलवाई थी। राज्य अंदर हुए करों में बहुत कमी की यात्रियों की सुविधा के लिए अंग्रेज सरकार के अनुरोध करने पर भावलपुर, सिरसा के मार्ग में कुएँ मीनारें और सराएँ भी बनवाई गईं।⁽¹¹⁾

उन दिनों भारत में सतीप्रथा तथा जीवित समाधि लेने का बहुत प्रचार था। लार्ड विलियम बेंटिक के समय अंग्रेज सरकार का इस और ध्यान आकर्षित हुआ और उक्त गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को बंद करने का कानून जारी किया, परन्तु राजपूताने में यह प्रथा बहुत समय तक जारी रही और वहाँ के राजा लोग सती-प्रथा को बंद करने में अपने धर्म की हानि होना समझ उसको मिटाने की और प्रवृत्त हुए। बीकानेर राज्य भी इस समय

सती-प्रथा को धर्म का अंग मानता था, इसलिए उस प्रथा को मिटाने में तत्पर न हुआ। तब अंग्रेज सरकार के राजपूताने के पोलिटिकल अफसरों ने उसका खास तौर पर इस और ध्यान आकर्षित किया। इस पर महाराजा सरदार सिंह ने वि.सं. 1811 (ई.सं. 1854) में अपने राज्य में नीचे लिखा इशतिहार जारी कर सती-प्रथा और जीवित समाधि-प्रथा बन्द करवा दी।

'सती होने को अंग्रेज सरकार आत्मघात और हत्या का अपराध समझती है, अतएव इस प्रथा को बन्द करने के लिए अंग्रेज सरकार की तरफ से बड़ी ताकीद है, अतएव इसकी रोक के लिए इशतिहार जारी हुआ है, और कर्नर सर हेनरी लारेंस (ए.जी.जी.) ने सती होने पर उसको न रोकने वाले व सहायता देने वाले को कठोर दण्ड (सजा) देने के लिए खरीता भेजा है। अतः सब उमारवों, सरदारों, जागीरदारों, अहलकारों, तहसीलदारों, जिलेदारों, थानेदारों, कोतवालों, साहूकारों, चौधरियों और प्रजा को भी हज़ूर जी आज्ञा देते हैं कि सती होने वाली स्त्री को इस तरह समझायें कि वह सती न हो सके और उसके घरवालों व संबंधियों को कहा जाए कि वह इस कार्य में उसके सहायक न हो। स्वामी, साधु आदि जो जीवित समाधि लेते हैं, वह रस्म भी बन्द की जाती है। अब कदाचित, सती होने व समाधि लेने वालों को सरदार, जागीरदार, अहलदार, तहसीलदार, थानेदार, कोतवाल इत्यादि राज्य के नौकर मना न करेंगे तो उनको नौकरी से पृथक कर उन पर जुर्माना किया जायेगा एवं सहायता देने वालों को अपराध के अनुसार कैद का कठोर दंड दिया जायेगा।⁽¹²⁾



1857 के गदर का भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा था। दिल्ली के कत्लेआम का समाचार ता.12 मई (वि.सं. 1914 ज्येष्ठ वदि 3) को लाहौर पहुँचा। वहाँ भी सिपाहियों के विद्रोही होने की संभावना विद्यमान थी। फिरोजपुर, मरदान, झेलम, स्यालकोट, इत्यादि स्थानों की पलटनों ने विद्रोह किया, परन्तु अंग्रेजों ने उनको दमन करने का तत्काल समुचित प्रबन्ध कर दिया। सिपाही विद्रोह में महाराजा ने केवल विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की ऐसा ही नहीं वरन् उसने खोज-खोज कर पीड़ित अंग्रेज कुटुम्बों का पता लगवाया और विद्रोह की समाप्ति तक उन्हें अपने राज्य में पहुँचाकर वही रखा। जनरल लारेंस का कथन है— 'अन्य राजाओं ने भी अंग्रेज कुटुम्बों को आश्रय और मदद दी, परन्तु विद्रोह के कारण भागे हुए अंग्रेजों का पता लगाने और उनकी रक्षा करने में जैसी सहायता बीकानेर के राजा ने की वैसी किसी दूसरे से न हुई।⁽¹³⁾ इस सम्बन्ध में लार्ड

कैनिंग⁽¹⁴⁾ ने महाराजा को लिखा था— 'विद्रोह के कारण हिसार और सिरसा से भागकर जिन अंग्रेजों ने आपके बीकानेर राज्य में शरण ली उन्हें आपने कृपापूर्वक आश्रय दिया। आपके इस कार्य ने मैत्री-पूर्ण अनुग्रह का परिचय दिया है, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है।' बीकानेर के प्राचीन राजमहलों में आश्रय एवं आतिथ्य पाने वाले अंग्रेजों में सुप्रसिद्ध कर्नल जेम्स स्किकनर⁽¹⁵⁾ के वंशजों का स्किकनर कुटुम्ब भी था, जो ता. 15 जून को वहाँ पहुँचा था और विद्रोह की समाप्ति तक वहीं रहा। उक्त परिवार के नाम पर अब तक 'फर्स्ट स्किकनर्स हॉर्स' नामक घुड़सवार सेना विद्यमान है।⁽¹⁶⁾

पटियाला, बीकानेर एवं कपूरथला के महाराजाओं के असाधारण प्रलोभनमयी परिस्थिति में किए गए कार्य इतिहास में एशियार्ड प्रतिष्ठा के उत्कृष्ट उदाहरण रहेंगे। उन सभी राजाओं को अंग्रेजों से काल्पनिक अथवा वास्तविक शिकायतें अवश्य थी, परन्तु उनकी महानता की पुष्टि में कहा जा सकता है कि इस आपत्ति के समय में उन्होंने उन्हें बढ़ाकर लाभ न उठाया।⁽¹⁷⁾

सिपाही विद्रोह में की गई सहायता की अमूल्य सेवाओं की ओर अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान प्रारम्भ से ही था। लेफिटेनेन्ट माइल्डने ने अपने ता. 24 सितम्बर 1857 के मुरासिले के अन्त में लिखा था—'हमारे मामले में महाराजा की सच्ची लगन एवं उत्साह वास्तव में इस योग्य है कि इसके लिए उनके पास धन्यवाद का खरीता भेजा जाय।' यही नहीं उसने महाराज के सैनिकों की तत्परता के सम्बन्ध में भी लिखा था कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर मुझे एक भी अवसर ऐसा नहीं मिला जब कि बीकानेर के मोहतबरो की कार्य-तत्परता के विषय में दोषरोपण करने की गुंजाइश होती।⁽¹⁸⁾

जनरल लारेंस ने भी इस सम्बन्ध में अपने भारत सरकार के मंत्री के नाम के पत्र में लिखा— 'मैं समझता हूँ कि महाराजा उस बड़े से बड़े पुरस्कार के योग्य हैं जो सरकार सबसे अधिक प्रशंसनीय इस बीकानेर राजपूत राज्य को दिये जाने की आज्ञा दे। इस मामले को श्रीमान् (लाट साहब) के सम्मुख रखने में अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति न्याय बुद्धि एवं मेरा यह विश्वास की मेरी (न्यायप्रिय) सरकार बीकानेर के राजा की अमूल्य सेवाएँ खाली न जाने देगी मेरे इस अनुरोध के कारण समझे जाय।⁽¹⁹⁾ स्वयं महारानी विक्टोरिया ने महाराजा की सेवाओं की स्वीकृति करते हुए जो सन्देश उसके पास सर चार्ल्स वुड के द्वारा भिजवाया था, उसका आशय इस प्रकार है— 'विद्रोह के समय महाराजा ने जिस राज भक्ति और मैत्री का परिचय दिया, उसका महारानी को पूरा-2 ज्ञान है। इस अवसर पर महाराजा ने अंग्रेजी सेना तथा सरकार को जो सहायता पहुँचाई थी, उसकी व हार्दिक प्रशंसा करती है। ऐसे समय में ही मित्रता के सच्चे गुणों की परीक्षा होती है। महाराजा तथा राजपूताने के अन्य प्राचीन राज घरानों ने विद्रोह के समय जिस दृढ़ मित्रता का परिचय दिया, वह महारानी की सबसे प्रिय यादगार रहेगी।⁽²⁰⁾

इन्हीं अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महाराजा को खिलअत तथा ता. 11 अप्रैल ई.स. 1861 (चैत्र सुदि 1 वि.सं. 1918) की सनद के द्वारा सिरसा जिले के 41 गावों⁽²¹⁾ का टीबी परगना (जिनके लिए पहले से बीकानेर ने दावा कर रखा था) दे दिया।⁽²²⁾

सिपाही विद्रोह के पूर्व बीकानेर राज्य के लमाम सोने और चॉदी के सिक्कों पर बादशाह शाह आलम दूसरे का नाम और जुलूसी सन् रहते थे। विद्रोह के अंत होने पर ई.सं. 1859 (वि.सं. 1916) में जब भारत का शासन सूत्र श्रीमती क्वीन विक्टोरिया के हाथों में गया तो महाराजा ने अपने सोने और चॉदी के सिक्कों पर से बादशाह नाम निकालकर एक तरफ 'औरंग आराय हिन्द' व

इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया 1859' और दूसरी तरफ 'जर्ब भी बीकानेर 1916' फारसी लिपि में खुदवाया, जिनमें मुहर का लेख बहुत ही सुन्दर है।

लार्ड डलहौजी के समय पुत्र के अभाव में एक कानून द्वारा देशी नरेशों को पुत्र गोद लेने की मनाही की गई थी, कई देशी राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए थे। विद्रोह के कारणों में से वह भी एक था। इस कानून को महारानी विक्टोरिया ने अनुचित समझे जाने पर रद्द कर दिया था यह कानून तब रद्द हुआ था जब विद्रोह का अंत हो गया था और इंग्लैंड की सरकार ने भारतवर्ष का राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। ई.सं. 1862 ता. 11 मार्च (वि.सं. 1918 फाल्गुन सुदि 10) को गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने महाराजा के नाम गोद लेने की सनद भेजी, जिसका आशय यह है— "श्रीमती महारानी विक्टोरिया की इच्छा है कि भारत में राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा एवं मानमर्यादा है वह हमेशा बनी रहे। इसलिए उक्त इच्छा की पूर्ति के निमित्त मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू धर्मशास्त्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज समझा जाएगा। आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का खैरखाह रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इकरारनामों का पालन करता रहेगा, जिनमें अंग्रेज सरकार के प्रति उसके कर्तव्य दर्ज है, तब तक आपके साथ इस इकरार में कोई बात बाधक न होगी।"⁽²³⁾

वि.सं. 1946 (ई.सं. 1889) में अंग्रेज सरकार के साथ जोधपुर और बीकानेर राज्यों के सम्मिलित व्यय से रेल बनाने के सम्बन्ध में इकरारनामा हुआ, जिसके अनुसार रेल बनाने का कार्य आरंभ होकर वि.सं. 1948 मार्ग शीर्ष (ई.सं. 1891 दिसम्बर) में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर में रेलवे का प्रादुर्भाव हुआ था। इस समय बीकानेर में तार का सिलसिला भी आरंभ हुआ। यातायात में वृद्धि होने से यह लाईन बीकानेर से दुलमेरा तक बढ़ा दी गई।

वि.सं. 1950 (ई.सं. 1893) में 30 वर्ष के लिए बीकानेर की टकसाल से रूपये बनाना बन्द होकर अंग्रेजी टकसाल से महाराजा के नाम का चॉदी का सिक्का—जिसकी एक तरफ महारानी क्वीन विक्टोरिया का चेहरा और नाम तथा दूसरी तरफ हिंदी और उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर, सन् तथा बीकानेर राज्य का नाम एवं मोरछल्ले है— बनकर प्रचलित हुआ। इनके अतिरिक्त रीजेंसी कौंसिल के शासन-काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता के लिए 'कैमल कोर' (ऊँटों का रिसाला) भर्ती किया गया था, जो महाराजा साहब के नाम पर 'गंगा रिसाला' कहलाता था।

रेल के अभाव के कारण पहले किसी वाइसराय का बीकानेर जाना नहीं हुआ था। रेल खुल जाने से यात्रा करना आसान हो गया था। अतएव वि.सं. 1953 मार्ग शीर्ष वदि 1 (ई.सं. 1896 ता. 21 नवम्बर) को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लार्ड एल्गिन का बीकानेर जाना हुआ। महाराजा के सत्कार, शिष्टाचार तथा वीरोचित गुणों और बीकानेर तथा गजनेर की सुन्दर घटा को देखकर वायसराय को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्हीं दिनों मार्गशीर्ष वदि 13 (ता. 2 दिसम्बर) को भारतवर्ष की सरकारी सेना का कमांडर—इन-चीफ (सेनाध्यक्ष) सर जार्ज व्हाइट बीकानेर गया हुआ था।⁽²⁴⁾

श्रीमति सम्राज्ञी विक्टोरिया का वि.सं. 1957 माघ सुदि 2 (ई.सं. 1901 ता. 22 जनवरी) को लन्दन में स्वर्गवास हो गया था इस शोक की खबर जब बीकानेर पहुँची तो बीकानेर में कई दिन तक शोक मनाया गया था। महाराजा साहब ने राज परिवार से सहानुभूति प्रकट करते हुए नव सम्राट (एडवर्ड सप्तम) के प्रति उच्च भावनाएँ प्रकट की और स्वर्गीय महारानी की स्मृति को चिर जिवित रखने के लिए राजधानी में विक्टोरिया मेमोरियल क्लब

बनवाया गया, जो बीकानेर की सफन्दर इमारतों में से एक हैं। इसी वर्ष मार्गशीर्ष वदि 10 (ता. 24 नवंबर) को भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन का बीकानेर में आगमन हुआ। महाराजा ने राज्योचित रीति से उसका स्वागत किया इस अवसर पर उक्त वायसराय के द्वारा कर्जन बाग तथा विक्टोरिया मेमोरियल क्लब का उद्घाटन हुआ और लेडी कर्जन-द्वारा जनाना अस्पताल की नींव रखवाई गई थी।

वि.सं. 1962 (ई.सं. 1905) में भारत भ्रमण के निमित्त प्रिन्स ऑफ वेल्स (परलोकवासी सम्राट पंचम जॉर्ज) का प्रिंसेस मेरी के साथ आगमन हुआ। यह दोनों उदयपुर और जयपुर होते हुए मार्गशीर्ष वदि 13 (ता. 24 नवम्बर) को वह दोनों बीकानेर पहुँचे। महाराजा साहब ने उनका बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर महाराजा ने राजकुमार की बीकानेर की यात्रा को चिरस्मर्णीय बनाने के लिए 'प्रिन्स जार्ज मेमोरियल हॉल' का निर्माण करना निश्चय कर उसका शिलान्यास प्रिन्स के हाथ से करवाया, जो बीकानेर की दर्शनीय वस्तुओं में से एक है। ता. 27 (मार्ग शीर्ष सुदि 1) तक प्रिन्स आफ वेल्स महाराजा साहब का मेहमान रहा, फिर व गजनेर गया, जहाँ शिकार आदि आमोद-प्रमोद का प्रबंध था। वहाँ से वह लालगढ़ महल में गया। उसने अपने हाथ से वीरता का परिचय देने वाले नौ अफसरों को पदक प्रदान किए। बीकानेर से विदा होते वक्त उसने अपने ता. 27 नवम्बर के पत्र में महाराजा साहब को लिखा था।⁽²⁵⁾

मेरे प्रिय मित्र,

बीकानेर से विदा होते समय मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आपके स्नेहपूर्ण संसर्ग और कृपापूर्ण मेहमानदारी से मैं और प्रिन्सेस बहुत प्रसन्न रहे। हम दोनों को बीकानेर छोड़ने का खेद है।

मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की उन आनंददायक स्मृतियों में, जो मैं और प्रिन्सेस यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे, कोई भी उतनी प्रिय न होगी, जितनी कि बीकानेर-निवास और आपकी मैत्री की स्मृतियाँ, जो अब सुदृढ़ हो गई हैं।

आपका सच्चा मित्र,
जार्ज.पी.

उसी वर्ष कपूरथला के वर्तमान महाराजा सर जगजीत बहादुर सिंह का बीकानेर में आगमन हुआ था इन्होंने महाराजा का उचित सम्मान किया। ई.सं. 1910 के जनवरी (वि.सं. 1966 पौष) मास में महाराजा साहब कलकता गए थे। वहाँ से लौटने के बाद यह कपूरथला भी गए, जहाँ के महाराजा ने इनका राज्योचित सम्मान किया।⁽²⁶⁾

बीकानेर राज्य मरुभूमि होने के कारण वहाँ वर्षा का औसत अधिक नहीं है। कुएं थोड़े और गहरे होने से खरीफ के अतिरिक्त रबी की फसल उत्पन्न नहीं होती, जिससे अकाल के समय प्रजा को बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। अतः महाराजा साहब ने अपने राज्य में कृषि-कार्य बढ़ाने के लिए सतलुज नदी से एक नहर लाने का विचार कर अंग्रेज सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की। अंत में पंजाब के फिरोजपुर नगर से बीकानेर राज्य में सतलुज नदी से नहर लाने की अंग्रेज सरकार ने स्वीकृति दी, जिसका पत्र व्यवहार ई.सं. 1920 ता. 4 सितम्बर (वि.सं. 1977 भाद्रपद वदि 6) को होकर नहर लाना स्थिर हो गया। इस नहर के कार्य में तीन करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया। इस गंग नहर के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य वि.सं. 1984 (ई.सं. 1927) में पूरा हो गया था। निमंत्रित किए जाने पर भारत के कई राजा महाराजा भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए। कार्तिक सुदी 1 (ता. 26 अक्टूबर) को लार्ड इर्विन द्वारा उक्त नहर का उद्घाटन

हुआ। इस शुभ अवसर पर पंडित मदनमोहन मालवीय भी उपस्थित थे और वरुण-पूजा आदि धार्मिक कृत्य उनकी सम्मति के अनुसार हुए।

नवम्बर (कार्तिक) मास का प्रथम सप्ताह वाइसराय तथा अन्य यूरोपीय मेहमानों के स्वागत-समारोह के लिए नियत हुआ था। भारत के वाइसराय मार्किंस आफ लिनलिथगा का लेडी लिनलिथगो-सहित कार्तिक सुदि 1 (ता. 4 नवम्बर) गुरुवार को स्पेशल ट्रेन-द्वारा बीकानेर पहुँचना हुआ। महाराजा साहब ने अपने महाराज कुमार, मुख्य-मुख्य उमारवों, राजवियों तथा स्टाफ के अफसरों के साथ बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया।⁽²⁷⁾

तदनन्तर वाइसराय की सवारी का हाथियों पर बड़ा जुलूस निकला, जो रेलवे स्टेशन से डूंगर मेमोरियल कॉलेज, नागरी भंडार, कोट दरवाजा रोड और किले के सामने के गंगा निवास पब्लिक पार्क के पास होता हुआ सूरसागर पर समाप्त हुआ। फिर मोटरों द्वारा वाइसराय अपनी पार्टी-सहित लालगढ़ पहुँचे, जहाँ महाराजा साहब ने उनसे मुलाकात की। बारह बजे के बाद बदले की मुलाकात के लिए वाइसराय इनके पास किले में गए। सायंकाल के 4.30 बजे वाइसराय ने बीकानेर की सेना का अवलोकन किया।⁽²⁸⁾

कार्तिक सुदि 2 (ता. 5 नवम्बर) शुक्रवार को वाइसराय ने प्रिन्स विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का अवलोकन किया। फिर सायंकाल के पाँच बजे गंगा गोल्डेन जुबिली म्यूजियम का जो बीकानेर की प्रजा की तरफ से स्वर्ण जयंती की समृति में बनाया गया है- वाइसराय ने इस का उद्घाटन किया था उसी दिन रात्रि को 8.30 बजे दरबार हॉल (करणी निवास) में वाइसराय के सम्मान में महाराजा साहब की ओर से भोज दिया गया था। इस अवसर पर महाराजा साहब ने अपने भाषण में साधारण रूप से बीकानेर राज्य में होने वाली उन्नति एवं अंग्रेज सरकार को युद्ध के समय दी जाने वाली सहायता इत्यादि का उल्लेख करते हुए स्वर्ण जयंती महोत्सव पर वाइसराय के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट की थी। इसके उत्तर में वाइसराय ने अपने भाषण में महाराजा साहब की शासन-कुशलता, राजनैतिक योग्यता प्रजा-प्रियता और इनके समय में होने वाली बीकानेर राज्य की अभूतपूर्व उन्नति का दिग्दर्शन कराते हुए इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। श्रीमान् सम्राट ने इस समय महाराजा को माननीय 'जनरल' की सैनिक उपाधि दी, जिसकी घोषण इसी अवसर पर वाइसराय ने की थी। भारतीय नरेशों में महाराजा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको 'जनरल' का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। कार्तिक सुदि 6 (ता. 9 नवम्बर) मंगलवार को सायंकाल के 6.30 बजे गजनेर से स्पेशल ट्रेन-द्वारा वाइसराय विदा हुए थे।⁽²⁹⁾ इस अवसर पर बीकानेर में वाइसराय के साथी अंग्रेजों और देशी अफसरों के अतिरिक्त अन्य बहुत से अंग्रेज अफसर, अखबारों के संवाददाता, एवं हिन्दुस्तानी मेहमान बीकानेर में थे उनका भी महाराजा साहब की तरफ से स्वागत किया गया था। उपरोक्त अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि अंग्रेजों के जमाने में बीकानेर रियासत के सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ थे। 1808 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी एल्फिंस्टन काबूल जाते समय बीकानेर में ही ठहरा था, उस वक्त बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह थे, उन्होंने एल्फिंस्टन का स्वागत किया और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए थे। बीकानेर के महाराजा के बीच और अंग्रेजी सरकार के बीच टीबी के परगनों संबंधी भी काफी लिखा-पढ़ी हुई थी। 1844 ई. में अंग्रेज सरकार तथा बीकानेर राज्य के बीच भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सराए बनवाने, कुएँ, मीनारें बनवाने राहदारी घटाने संबंधी भी बातचीत व लिखा-पढ़ी हुई थी। महाराजा ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मार्ग में कर की कमी की थी।

भावलपुर और बीकानेर सीमा संबंधी जो झगड़ा था उसका भी शांतिपूर्वक अंग्रेजों ने और महाराजा ने बैठ कर समाधान निकाल लिया था चूंकि भविष्य में सीमा संबंधी कोई भी झगड़ा न रहे। अंग्रेजों और सिक्खों की लड़ाई में महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था उनको तोपें, ऊँटों की सेना और अन्य सैनिक भी युद्ध के लिए प्रदान किए थे।

उधर दूसरी तरफ अंग्रेजों और सिक्खों की लड़ाई में जिन-2 बीकानेरी सैनिकों ने बहादुरी दिखाई उनको सिरोपाव और आभूषण देकर भी सम्मानित किया था।

उन दिनों बीकानेर में दो सामाजिक बुराईयाँ प्रचलित थी एक तो सती प्रथा दूसरी जीवित समाधि लेना। इन दोनों बुराई को अंग्रेज सरकार ने समाप्त कर दिया था।

उस वक्त पटियाला, बीकानेर, कपूरथला के महाराजाओं के असाधारण व प्रलोभमयी परिस्थिति में किए गए कार्य इतिहास में एशियाई प्रतिष्ठा में उत्कृष्ट उदाहरण रहेंगे। इन सभी राजाओं के अंग्रेजों के प्रति किए गए कार्यों की काफी प्रशंसा भी की गई थी। महारानी क्वीन विक्टोरिया की तरफ से भी इन नरेशों के कार्यों की प्रशंसा की गई और इन को राज्योचित सम्मान भी प्रदान किए गए थे। बीकानेर राज्य मरुभूमि होने के कारण वहाँ वर्षा का औसत अधिक नहीं था। जिससे अकाल के समय प्रजा को बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। महाराजा गंगा सिंह जी ने इन कठिनाईयों से निपटने के लिए और कृषि संबंधी उत्पादन बढ़ाने के लिए सतलुज नदी से एक नहर लाने का विचार कर अंग्रेज सरकार से लिखा पढ़ी आरंभ कर दी थी। अंत में पंजाब की फिरोजपुर नगर से बीकानेर राज्य के लिए सतलुज नदी से नहर लाने में अंग्रेज सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। कार्तिक सुदी 1 (ता. 26 अक्टूबर) को लार्ड इर्विन द्वारा इस नहर को उद्घाटन किया गया, जो गंग नहर के नाम से प्रसिद्ध हुई थी इस नहर का नाम अंग्रेज सरकार ने महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंग नहर रख दिया था यह उस वक्त महाराजा गंगा सिंह का बीकानेर रियासत के लिए एक भागीरथ प्रयत्न था, जिसे आज तक भी कदाचित नहीं भुलाया जा सकता अंग्रेजों द्वारा बीकानेर की रियासत के लिए किए गए कार्यों से हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हैं।

संदर्भ सूची

1. दयाल दास की ख्यात, जिल्द 2, पत्र 110-116
2. कर्नल पाऊलेट, गैजेटियर आफ दि बीकानेर स्टेट पृष्ठ 79,80, 81 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
3. दयालदास की ख्यात, जि. 2, पत्र 107-8 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर। कर्नल पाऊलेट, गैजेटियर आफ दि बीकानेर स्टेट, शेष संग्रह, संख्या 3, पृष्ठ 163-65 बीकानेर के नरेशों ने पहले मराठों आदि को किसी प्रकार का खिराज नहीं दिया, इसी लिए अंग्रेज सरकार ने भी उनसे खिराज नहीं लिया था।
4. दयालदास की ख्यात, जिल्द 2, पत्र 110-111 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
5. वही, जि.2, पत्र 113-114
6. वही, जि.2, पत्र 147-148
7. वही, जि.2, पत्र 153-154
8. यह अंग्रेज सरकार की तरफ से मुल्तान का गर्वनर नियुक्त था। बाद में यह सरकार से विद्रोही हो गया और आखिरकार मार डाला गया।
9. दयालदास की ख्यात, जि.2, पत्र 165-68, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर।
10. वही, जि.2, पत्र 168-170
11. कर्नल पाऊलेट, गैजेटियर आफ दि बीकानेर स्टेट, पृष्ठ 85-89 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
12. वही, पृष्ठ 89-93

13. ता. 21 दिसम्बर ई.सं. 1860 (वि.सं. 1917 मार्गशीर्ष सुदि 9) का भारत सरकार के मंत्री के नाम का मुरासिला ;कमेचंजबीद्ध
14. इसका पूरा नाम चार्ल्स जान कैनिंग था। यह भारतवर्ष का गर्वनर जनरल और पहला वाइसराय था। ई.सं. 1812 में इसका जन्म हुआ था और ई.सं. 1856 में यह भारत का गर्वनर जनरल होकर आया था। ई.सं. 1858 में वाइसराय बनाया गया और ई.सं. 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी।
15. जे.बेली फेजर, मिलिटरी मेमॉयर्स ऑफ लेफ्टनेन्ट कर्नल जेम्स स्किकनर। कर्नल जेम्स स्किकनर, सी.बी. जन्म ई.सं. 1778 में हुआ था और ई.सं. 1842 ता. 4 दिसम्बर (वि.सं. 1899 मार्गशीर्ष सुदि 2) को हांसी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसने बुंदेलखण्ड, मालपुरा आदि की लड़ाईयों में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देकर अपनी कीर्ति सदा के लिए अमर कर दी।
16. मुंशी ज्वालासहाय, लॉयल राजपूताना, पृष्ठ 291
17. फ्रेड्रिक कपूर, दि क्राइसिस इन दि पंजाब फ्रॉम दि टेन्थ ऑफ में अन्टिल दी फाल आफ डेलही, पृष्ठ 1, 8 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
18. ता. 24 सितम्बर ई.सं. 1857 का मुरासिला।
19. ता. 21 दिसम्बर ई.सं. 1860 का मुरासिला।
20. ता. 15 दिसम्बर ई.सं. 1859 का खरीता।
21. ट्रीटीज एंगेजमेन्ट्स एण्डसनदस, जि.2, पृष्ठ 290-91 (संस्करण 1932 ई.) साबूरा 2. मानक टीबी (नानक पट्टी) 3. काराखारा (खराकुवा) 4. गोदयाखार 5. कामपुरा 6. सोलावाली 7. बासीहर 8. मलरखार 9. गलवाला 10. सहारन 11. कुलचंदर 12. सुरावाली 13. चंदूरवाली 14. पीर कामरिया (नीरकमरया) 15. पन्नीवाली उर्फ जगरानी (चगरानी) 16. कन्नानी (कनाली) 17. मगरानी (गलरावती) 18. मसानी 19. टीबी बरजीका (पट्टी वरजीका) 20. रताखारा 21. रतीखारा 22. किशनपुरा 23. सलेमगढ़ 24. चारोई (धारी) 25. सलवाला खुर्द 26. बैरवाला कला 27. सलवाला कल 28. तलवाडा कला 29. जलालाबाद 30. मोहरवाला 31. मसीतावाली (सीता वाली) 32. रामसर 33. दबली खुर्द (देहली खुर्द) 34. रामनगर 35. दबली कला (देहली कला) 36. मिर्जावाली 37. चाऊवाली 38. भूरापुरा 39. खैरवाली 40. शिवदानपुरा (शाखांपुरा) 41. खन्दानिया कंदाहा।
22. ट्रीटीज एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदस, जि.3, पृष्ठ 290 सी.डब्ल्यू. वाडिंग्टन, इण्डियन इण्डिया, पृष्ठ 85
23. ट्रीटीज एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदस, जि.3, पृष्ठ 35
24. गौरीशंकर हीरा चन्द ओझा, बीकानेर राज्य का इतिहास, पृष्ठ 112-115, राजस्थानी ग्रन्थागार सोजती गेट, जोधपुर (राजस्थान) 1997
25. वही, पृष्ठ 125
26. वही, पृष्ठ 127
27. वही, पृष्ठ 173-175
28. वही, पृष्ठ 173-176
29. वही, 175-178